या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/8/23

मय [illegible] पेश हुए
[illegible] प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
[illegible]
[illegible] प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
पत्रावली वास्ते
आगामी पेशी दिनांक 18/12/23
पेश है

18/12/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी [illegible] उपस्थित। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 25.3.24 को पेश हो।

25.03.2024:—आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्तिथ नही आए। वादी का मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना–पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:53 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व
जो इस

Reader to Refer

भारत INDIA कोर्ट फी COURT FEE एक रुपया ONE RUPEE

मुदावा अन्तर्गत धारा
आर टी एक्ट

बअदालत सहायक कलेक्टर महोदय
हनुमानगढ़

1. रामप्यारी पत्नि पृथ्वीराज
2. सुभाष पिसरान
3. राजेन्द्र कुमार पृथ्वीराज

जाति छिपां निवासी धौलीपाल
जिला हनुमानगढ़

**बनाम**

श्रवण कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति छिपा निवासी धौलीपाल तह
हनुमानगढ़

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़

उपपंजीयक हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ

**प्रार्थना पत्र वास्ते ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत।**

होदय,

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निम्न प्रकार है।

यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक नं 11 डीएलपी खाता संख्या 17/1
कुल 5.058 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या
से सांझे खाते में दर्ज कागजात है। जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 0.29
प्रार्थी सख्या 2, 3 व प्रतिवादी संख्या 12 का 1.012 हैक्टयर अप्रार्थी संख
0.033 हैक्टर खातेदारी दर्ज कागजात है। फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी
डीएलपी खाता संख्या 17 सम्वत् 2075–78 संलग्न प्रार्थना पत्र है। रि
[illegible] है।

[illegible] कि प्रश्नगत कृषि भूमि सांझे खाते की सहकारस्तकारी कृषि भूमि है
[illegible] नहीं किया गया है। [illegible] संख्या 01 सांझे खाते की कृषि
अच्छी किस्म की कृषि भूमि [illegible] अन्य दिगर शख्स को रहन, बैय
आमादा है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 दौराने दावा उपरोक्त गैर कानूनी
कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण
का मकसंद समाप्त हो जावेगा।

यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में सांझी दर्ज होने के कारण
व लगान को लेकर प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण में आपस में तनाजा र
इसलिए प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का खाता एवं लगान
कायम करवाने के कानूनी [illegible]